Volume-7, No. 2 Aug.-2020, pp. Hin.19-23

वर्तमान भारत में उभरते आर्थिक अवसरों का मूल्यांकनः गरीबी एवं बेरोजगारी के संदर्भ में

श्री कमलकांत कौशिक, शोध छात्र वाणिज्य विभाग
मलिकपुरा पीजी कॉलेज मलिकपुरा गाजीपुर उत्तर–प्रदेश भारत
डॉ0 बाल गोविंद सिंह, शोध निर्देशक
विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग
मलिकपुरा पीजी कॉलेज मलिकपुरा गाजीपुर उत्तर–प्रदेश भारत

सारांश
मानव सभ्यता के विकास में जहां भोजन की आपूर्ति निश्चित हुई उसके पश्चात ही मानव समुदाय में भोजन आपूर्ति के अतिरिक्त उत्पादन का क्रय विक्रय आर्थिक गतिविधियों का शुरुआती चरण था। जिसने मानव को आय (इनकम) की प्राप्ति एवं बचत व खरीदने की क्षमता जैसे आर्थिक आयाम दिए जिससे मानव समुदाय में आर्थिक गतिविधियों का वस्तु विनिमय से लेकर वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी दौर की डिजिटल मुद्रा तक सुनिश्चित होता है। किंतु आर्थिक गतिविधियों व राज्य की उत्पत्ति एवं सभ्यता व संस्कृति के साथ मानव समुदाय में शक्ति की अवधारणा की उत्पत्ति के बाद असमानता भी निश्चित हुई। जिसने मानव समुदाय में अमीरी गरीबी दो शब्दों के आधार पर गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, बेकारी, गुलामी आदि असामाजिक एवं आमानवीय प्रथाओं को जन्म दिया। जिसके परिणाम स्वरूप वर्तमान भारत में 30 प्रतिशत जनसंख्या आज भी गरीबी बेरोजगारी बेकारी एवं अल्प पोषण की समस्याओं से जूझ रही है, जिसे विश्व भर के अनेक रिपोर्ट एवं सूचकांकों द्वारा उल्लेखित किया गया है। किंतु भारत जैसे विकासशील देश में जहां पिछले 70 साल में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी विकास चिकित्सा एवं चिकित्सा शोध में नवाचार तथा अंतरिक्ष पहुंच में विकसित की गई तकनीकी अविष्कार प्रदर्शित करता है कि भारत में अपनी दशकों से चली आ रही गरीबी एवं बेरोजगारी भुखमरी एवं अल्प पोषण की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एक बहुआयामी प्लेटफार्म तैयार कर लिया है। साथ ही भारत में जनांकिकी लाभांश वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है, जो श्रम क्षेत्र में तकनीकी विकास से लेकर लेबर की उपलब्धता तक आपूर्ति कर भारत को आर्थिक सशक्त बना सकता है और भारत के पास एक बड़े बाजार की उपलब्धता एक लंबे समय तक सुनिश्चित होने की भी आशान्वित दूर दृष्टिता है। अतः भारत में व्याप्त गरीबी बेरोजगारी एवं भुखमरी जैसी समस्याएं आने वाले दशकों में प्रतिशत के हिसाब से अपने न्यूनतम स्तर पर होंगी।

मुख्य शब्द– आर्थिक अवसर, गरीबी, बेरोजगारी।

प्रस्तावना

मानव समुदाय में जनसंख्या एवं जनसंख्या के अनुसार संसाधनों की उपलब्धता सभ्यता और संस्कृति के विकास के शुरुआती चरणों से ही समाज व शासन के समक्ष एक चुनौती पूर्ण मुद्दा रहा है। क्योंकि जहां भारत में जनसंख्या विश्व में दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में हैं, यह जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के सात में हिस्से के बराबर है, जिसका परिणाम है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनसंख्या वृद्धि दर आर्थिक विकास दर से कहीं अधिक है। अतः जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के ढांचे के बीच संबंध असमानता एवं अभाव से पूर्ण है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी निर्धनता मजदूर पलायन और कमजोर गतिशील जैसी समस्याएं एक संघर्ष का मुद्दा है। जनसंख्या वृद्धि हालांकि मूल बेरोजगारी एवं गरीबी का कारण नहीं है क्योंकि भ्रष्टाचार, जनता में शिक्षा एवं जागरूकता के अभाव, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी तथा प्रशासन में नौकरशाही व लालफीताशाही के कारण भी प्रमुख है। 1947 के स्वतंत्र उत्सव से ही देश की समस्याओं एवं चुनौतियों पर भारतीय राजनीतिक संरचना एवं वैधानिक संस्थाओं ने कार्य करना शुरू कर दिया था, जिसका सर्वप्रथम तथ्यात्मक परिणाम प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग को प्रोत्साहित करना एवं ग्रामीण स्तर पर समुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ स्थानीय शासन व्यवस्था को क्रियान्वित कर लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण का एवं जनता की शासन सत्ता में प्रत्यक्ष भूमिका का उदाहरण पेश किया गया। किंतु अशिक्षा गरीबी बेरोजगारी एवं आधुनिक जीवन

शैली से अभावग्रस्त एक बड़ा समुदाय भारत की जनसंख्या में शामिल था, जिसके कारण बुनियादी एवं स्थानीय स्तर पर तत्कालीन संस्थाओं द्वारा गांधी दृष्टिकोण एवं समाजवाद दृष्टिकोण का प्रयोग आशा अनुरूप सफल नहीं हो सका। किंतु समय परिवर्तन के बाद 1960 एवं 70 के दशक में भारत में राजनीतिक स्थिरता बाहरी आक्रमण में युद्ध का माहौल एवं समाजवाद व मार्क्सवादी विचारधारा के कारण गरीबी बेरोजगारी एवं आम जनता को वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए अनेक योजनाएं एवं मिशन क्रियान्वित किए गए, जिसमें प्रमाणित तत्व के रूप में 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण एवं 1970 के दशक में तत्कालीन राजनीतिक इच्छाशक्तियों की आशान्वित संकल्पना गरीबी हटाओ का नारा सर्वविदित है। किंतु राज्य की राजनीतिक स्थिरता एवं कुछ आकस्मिक घटनाओं के कारण गरीबी हटाओ की संकल्पना एवं गरीब–अमीर व शहरी–ग्रामीण के बीच समाजवाद की संकल्पना एक आदर्श मूलक विचार बनकर रह गई।

1980 के बाद भारत में ग्रामीण उदय एवं ग्रामीण रोजगार से संबंधित अनेक योजनाओं को क्रियान्वित किया गया, जिसमें जवाहर रोजगार योजना एवं इंदिरा आवास योजना के साथ अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। किंतु आर्थिक विकास दर और जनसंख्या विस्फोट से जनसंख्या वृद्धि दर में असमानता का स्तर इतना अधिक सुनिश्चित था कि जनसंख्या वृद्धि दर सदैव आर्थिक विकास दर पर हावी रही, जिससे एक बड़ी जनसंख्या आधुनिक विकास एवं मुख्य धारा से छूटती चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप देश में गरीबी एवं बेरोजगारी की दर निश्चित ही भारत में विश्व की सबसे अधिक बेरोजगारी व गरीबी सुनिश्चित हुई किंतु 1990 के दशक में भारत सरकार द्वारा स्वीकार किए गए वैश्वीकरण निजीकरण एवं उदारीकरण के कारण प्रस्तुत चुनौती पर नियंत्रण हो सका। हालांकि भारत आज भी मानव विकास सूचकांक सहित वैश्विक जेंडर इनिक्वालिटी जैसे सूचकांकों की रैंकिंग में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। जिसका प्रमुख कारण अनेक रिपोर्टों में सामने आया है जिसमें बताया गया कि भारत की जनसंख्या एवं आर्थिक उपार्जन के संसाधनों के बीच एक लंबा अन्तराल दिखता है अर्थात् वर्तमान में भारत की जनसंख्या जोकि विश्व की सबसे बड़ी लाभांश के रूप में है। वही एक तरीके से बेरोजगारी गरीबी भुखमरी एवं बहुआयामी गरीबों के लिए कारण बनी हुई है। अतः प्रस्तुत जनांकिकी लाभांश को आर्थिक उपार्जन की संरचना में बदलने के लिए आर्थिक अवसर एवं आर्थिक परिस्थितियों का होना अनिवार्य है।

वर्तमान भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी को हटाने के लिए चुनिंदा क्षेत्रों में कार्य की अनिवार्यता एवं क्षेत्र विशेष में कार्य करने की अनिवार्यता पर बल–

भारत में आर्थिक उपार्जन में सुधार को सर्वप्रथम सुनिश्चित करने के लिए श्रम व पूंजी की उपलब्धता में सुधार निश्चित होना चाहिए क्योंकि आर्थिक प्रयोजन में श्रम शक्ति व संपत्ति बुनियादी जरूरतें हैं। भारत में श्रम नीति नियोजन के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की अवधारणा को सुनिश्चित करते हुए। श्रम नीति को दो आधारों पर बनाया गया है, जिसमें प्रथम औद्योगिक विकास में सतत विकास बनाए रखना एवं द्वितीय श्रमिकों के कल्याण को प्रोत्साहन देना। भारत में जहां एक बड़ी जनसंख्या लाभांश है, वहां श्रम सुधार को सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक हो जाता है इन्हीं श्रम सुधारों को कार्य कौशल प्रशिक्षण तकनीकी दक्षता सुधार नेतृत्व गुणों का विकास आदि के आधारों पर निश्चित किया जा रहा है। जिसमें सर्वप्रथम न्यूनतम मजदूरी संशोधन अधिनियम 2016 जिसके आधार पर न्यूनतम मजदूरी को 42 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सीधे लाभ कर्ता के बैंक खाते में हस्तांतरण किया जा रहा है। इस कानून के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को शामिल किया गया है, जिनका वेतन 18000 के न्यूनतम स्तर पर है। ठेका मजदूर नियमन एवं उन्मूलन संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से 70 के दशक में गठित ठेका मजदूरी केंद्रीय कानून मैं संशोधन कर प्रत्येक मजदूर को प्रतिमाह मजदूरी से प्राप्त आय 10000 निश्चित की गई है। बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घरेलू या पारिवारिक कार्यों में विज्ञापन एवं मनोरंजन में खेलों में श्रम की अनुमति दी गई है, बस अर्थ उनके व्यक्तिगत विकास जैसे पढ़ने लिखने खाने खेलें एवं अन्य क्रियाकलापों पर विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ना चाहिए। साथ ही 14 से 18 वर्ष की आयु के किशोरों को खतरनाक कार्यों में श्रम करने की अनुमति निषेध की गई है। हालांकि विधेयक में बच्चों एवं किशोरों के कल्याण एवं उनकी दक्षता व कौशल तक के विकास के लिए भी प्रदान किए गए हैं, जिसमें राज्य सरकारों को एक पार्टी बनाते हुए बाल किशोर कोष का गठन किया गया है। क्योंकि बाल श्रम मैं गरीबी व बेरोजगारी एक मूल कारण है, इसीलिए सरकार ने सामूहिक पहल के माध्यम से बाल श्रम में संलग्न

छात्र–छात्राओं को परिवार एवं संरक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद देकर बाल श्रमिक के जीवन की गरिमा एवं उनकी मानसिक व शारीरिक अभिव्यक्ति को संरक्षित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को सामूहिक रूप से मानव संसाधन विकास मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं समानता को संदर्भित करते हुए समान मजदूरी अधिनियम 1976 के माध्यम से महिला एवं पुरुष को एक ही काम के समान दाम देने का प्रावधान किया गया है। अतः महिलाओं को पुरुषों के समान भर्ती एवं वेतन की निश्चिता काम की प्रवृत्ति के आधार पर ही सुनिश्चित होगी ना कि लिंग के आधार पर। 21 वी शताब्दी के सूचना प्रौद्योगिकी दौर में भारत जैसे देशों ने सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विकास के माध्यम से बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए। विभिन्न कार्य क्षेत्रों में विकास की परिभाषाएं बदल दी गई हैं, जिसको संदर्भित करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के दिशा निर्देश ने महिलाओं के साथ घटनास्थल पर हो रही यौन उत्पीड़न शारीरिक संपर्क शारीरिक संबंध बनाने की मांग आगरे या अश्लील टिप्पणियां या अश्लील सामग्री दिखाने के साथ–साथ अवांछित शारीरिक मौखिक या गैर मौखिक यौन व्यवहार रेखांकित करते हुए आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय दंड संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि में संशोधन करते हुए आरोपी को सख्त कानूनी कार्यवाही एवं सजा का प्रावधान निश्चित किया है, इससे जो महिला समुदाय बेरोजगारी एवं बेकारी का दंश झेल रहा है, उसे कार्य करने एवं अपनी आर्थिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्र एवं दक्षता व कौशलता का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना 2016 केंद्रीय श्रमिक बोर्ड नागपुर राष्ट्रीय श्रमिक नीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रीमेव जयते कार्यक्रम मजदूर संघ संशोधन अधिनियम 2001 ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बागान श्रमिक अधिनियम 1951 कामगार मुआवजा अधिनियम 1923 प्रसूति लाभ अधिनियम 1961 कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1948 कर्मचारी भविष्य निधि विधि विविध उपबंध अधिनियम 1952 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 संवैधानिक वैधानिक कानूनों के माध्यम से भारत में आर्थिक उपार्जन एवं भारत में जनांकिकी लाभांश को देश के आर्थिक विकास में सुनिश्चित किया जा रहा है।

आर्थिक उपार्जन एवं आर्थिक उत्थान के लिए क्रियान्वित योजनाओं का संक्षिप्त मूल्यांकन–

वर्तमान भारत में विश्व का सबसे अधिक जनांकिकी लाभांश होने के बावजूद भी भारतीय आर्थिक नीतियां इसे जनांकिकी लाभांश को सुनिश्चित ढंग से उपयोग नहीं कर पा रही। किन्तु वर्तमान शासन सरकार ने 15 जुलाई 2015 को मानव विकास संसाधन को सुनिश्चित करने के लिए स्किल इंडिया प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया, जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान राष्ट्रीय कौशल विकास और उद्यमिता नीति 2015 तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एवं कौशल ऋण योजना के माध्यम से लोगों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के साथ–साथ वित्त समस्याओं को सुनिश्चित भी किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के अंतर्गत संस्थागत ढांचे की सुविधा प्रदान करने एवं मिशन में तीन स्तरीय उच्च अधिकार निर्णय निर्माण का भी एक संस्थागत ढांचा है, जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिशन की गवर्निंग काउंसिल होती है। जो समग्र मार्गदर्शन एवं नीतिगत दिशाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। कौशल विकास एवं उद्यमिता राष्ट्रीय नीति 2015 के अंतर्गत कौशल नीतियों को रणनीतिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा उक्त नीति को अपनाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य भारत के श्रम को कौशलपूर्ण सशक्ति पूर्ण बनाकर उसे आर्थिक उपार्जन की दृष्टि से सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत महिलाओं के व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को भी प्राथमिकता दी है, जिसमें 450 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सामान्य आईटीआई के 1004 महिला विंग के माध्यम से महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन संस्थानों में महिलाओं को 30 प्रतिशत सीट आरक्षण के साथ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना और शिल्प शिक्षण व प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत कुशलता को सुनिश्चित किया जा रहा है। भारतीय नागरिकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नक्सलवाद से प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास कार्यक्रम आईटीआई एवं कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से हर जिले में सुनिश्चित किए जा रहे हैं। 2015 की 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल करियर सर्विस पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित कर देश के दूरदराज एवं प्रशासन और शासन से वंचित गरीब एवं बेरोजगार लोगों को नौकरी की उपलब्धता के ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा। इससे कोई भी नौजवान या जिसे अपनी कौशल व दक्ष के आधार पर रोजगार

चाहिए वह फ्री एवं अल्प समय में अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण कर सकता है। भारत सरकार ने सार्वजनिक निजी भागीदारी द्वारा 1396 सरकारी आईटीआई ओके उन्नयन को व्यवस्थित करने के लिए 3550 करोड रुपए का आवंटन किया है। जिससे इन संस्थानों की गुणवत्ता एवं मात्रात्मक व्यवसायिक प्रशिक्षण में सुधार होगा। जिसके माध्यम से एक बड़े स्तर पर बेरोजगार युवा शक्ति को एक मार्ग दिखाया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों ने भारती वेतन एवं मानवीय परिस्थितियों को वैधानिक व संवैधानिक स्वरूप में सुनिश्चित करके ना केवल सामाजिक आर्थिक न्याय की सुनिश्चित की गई है, बल्कि संविधान की मूल प्रस्तावना एवं मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य को भी सुनिश्चित किया है।

भारत सरकार ने 1947 से 21 वीं शताब्दी तक पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी भारत की आर्थिक एवं सामाजिक दशाओं को सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिसमें प्रथम पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि विकास पर बल दूसरी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आधारभूत एवं भारी उद्योगों का विकास तीसरी योजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति अर्थव्यवस्था चौथी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता पंचवर्षीय योजना के माध्यम से निर्धनता उन्मूलन तथा हाथ निर्भरता छठी पंचवर्षीय योजना के माध्यम से गरीबी निवारण तथा रोजगार सर्जन सातवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से कृषि एवं विकास प्रेरित समृद्धि रणनीति आठवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से आर्थिक समृद्धि रोजगार एवं उदारीकरण की प्राप्ति नौवीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम से मानव विकास पर बल दसवीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक न्याय तथा क्षमता के साथ आर्थिक विकास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रता के साथ अधिक समावेशी विकास की ओर 12वीं पंचवर्षीय योजना में तीव्रता सतत और समावेशी विकास को सुनिश्चित किया गया।

अत केंद्र में राज्य सरकार अपने नीतिगत एवं संस्थागत ढांचे के गरीबी एवं बेरोजगारी के उन्मूलन प्राथमिक उद्देश्यों के साथ कार्य कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय विकास की नीतियों को गरीबी उन्मूलन अज्ञानता दूर करने रोग उन्मूलन असमानता को दूर करने और अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रसन्नता के कार्य कर रहे हैं। उक्त मंत्रालय का उद्देश्य गरीबी का संस्थागत उन्मूलन रोजगार सर्जन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का उत्सर्जन एवं बुनियादी ढांचे का विकास कर सामाजिक सुरक्षा व संरक्षण को सुनिश्चित करना है। जिसमें स्मार्ट गांव योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम सांसद आदर्श ग्राम योजना ई–पंचायत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन राष्ट्रीय शहरी पथ विक्रेता नीति 2014 स्मार्ट सिटी मिशन अटल मिशन शहरी आवास मिशन आदि के माध्यम से ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहे हैं।

उक्त योजना कार्यक्रम एवं संवैधानिक विकास की प्रक्रिया के विकास के अनुरूप निसंदेह केंद्र व राज्य सरकार की दूर दृष्टिता भारत में एक आर्थिक उपार्जन बुनियादी ढांचा खड़ा करने एवं उससे भारत के जनांकिकी लाभांश को दोहने का प्रयोजन पूर्ण हो सके। भारत सरकार ने आर्थिक कोरिडोरओं के विकास के साथ–साथ रक्षा उपकरणों के संदर्भ में रक्षा कोरिडोरओं का निर्माण शुरू किया है। जिसमें भारत का जनांकिकी लाभांश अपनी प्रतिभा एवं कुशलता के आधार पर भारत में निर्माण विनिर्माण उत्पादन की प्रक्रिया को पूर्ण कर आयात की निर्भरता को कम करके निर्यात के प्रचलन को पूर्ण करेगा। अतः 21 वी शताब्दी के वैश्विक स्तर पर महाशक्तियों के रूप में भारत में आर्थिक उपार्जन एवं रोजगार की उपलब्धता के लिए वर्तमान में एक सशक्त एवं सरल आर्थिक ढांचा विकसित हो रहा है। जिससे भारत में व्याप्त गरीबी बेरोजगारी एवं बहुआयामी गरीबी जैसी चुनौतियों को कम करने में सहायता मिलेगी।

सुझाव सहित निष्कर्ष–

गरीबी एवं बेरोजगारी किसी भी समाज में समुदाय के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है, क्योंकि मानव समुदाय के आधुनिक सभ्यता व संस्कृति में जीवन की गरिमा पूर्ण दिशाओं को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रोजगार एवं इनकम का माध्यम होना नितांत आवश्यक है। भारत जैसे विकासशील देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक दशाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है, किंतु देश की जनांकिकी लाभांश एवं आर्थिक क्षेत्रों का मूल्यांकन करें, तो मुंबई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरू, लुधियाना, फरीदाबाद, गुड़गांव आदि के अलावा भारत में कोई निश्चित एवं नियमित आर्थिक क्षेत्र नहीं है। इसलिए शासन में प्रशासन द्वारा क्षेत्रीय एवं व्यक्तिगत स्तर पर योजनाओं एवं प्रोग्रामों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण शिक्षण वह दक्षता को विकसित किया जा रहा है। साथ ही प्रशासनिक अनुमतियों एवं वित्त सुविधाओं की उपलब्धता के लिए

भी अनेक प्रयोजन किए गए हैं जिसमें पिछले कुछ वर्षों से मुद्रा योजना वर्तमान केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है, जिसके माध्यम से गरीब दैनिक दिहाड़ी मजदूर एवं रेहड़ी मजदूर एवं अन्य छोटे छोटे व्यक्तिगत रोजगारों में संलग्न भारतीयों को ऋण एवं अतिरिक्त वित्त की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। जिससे देश में व्याप्त अशिक्षा व जागरूकता के अभाव में व्याप्त गरीबी एवं बेरोजगारी में कमी आएगी और बड़े उद्योग संस्थानों को सरकार द्वारा दी जा रही सहायता वह छूट के माध्यम से भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक उपार्जन एवं रोजगार में वृद्धि सुनिश्चित होगी। प्रश्नपत्र की शोध समस्या के अंतर्गत अंतिम रूप से निश्चित यह भी होता है कि जन जागरूकता एवं जन सहयोग संवाद की नितांत आवश्यकता भी बेरोजगारी गरीबी एवं भुखमरी जैसी समस्याओं के लिए अभी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में है, क्योंकि दूरदराज एवं गरीब जनता तक शासन सत्ता की पहुंच एवं गैर सरकारी संस्थानों व गैर सरकारी संगठनों एवं शैक्षणिक संस्था संस्थाओं का जनता के साथ आर्थिक प्रोग्राम योजनाओं नीतियों पर संवाद ना होना भी गरीबी एवं बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से ना उधर पाना भी प्रमुख मुद्दा है। अतः केंद्र वह राज्य सरकारों, प्रशासनिक समुदाय की तत्परता एवं उत्तरदायित्व, वह शैक्षणिक संस्थानों के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों को दूरदराज गरीब एवं अशिक्षित समुदाय में उनके कौशल एवं प्रतिभा के प्रशिक्षण वह सरकार द्वारा सुनिश्चित की जा रही वित्त एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में संवाद संप्रेषण स्थापित हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अहूजा राम, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली 2016
2. शर्मा के एल, भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2017
3. धींगरा ईश्वर, भारत का आर्थिक विकास, सुल्तान चंद एंड संस नई दिल्ली 2016
4. पत्रिका कुरुक्षेत्र, योजना
5. समाचार पत्र दैनिक जागरण (राष्ट्रीय संस्करण)
6. Kapila Uma, Indian Economy Since Independence Comprehensive and Critical Analysis of Indian Economy 1947 to 2019, Academy Foundation, New Delhi.
7. Times of India
8. www.pibhindi.in
9. www.financeministry.gov.in
10. www.nitiayog.gov.in